179/16 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 179/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर (एसडीएम), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07—02—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2016 के द्वारा उपजिला कलक्टर (एसडीएम) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2016 के द्वारा उपजिला कलक्टर (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का पत्रांक 3141—3142 दिनांक 22.09.2016 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्र मे अंकित तथ्यों व प्रार्थी के संलग्न परिवाद पर आप द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर को भेजी गई है, उसकी सूचना, कार्यवाही व तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्रांक 3141—41 दिनांक 22.09.2016 का जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने के नियम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. पत्रांक 3141—41 का जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने पर दोषी कर्मकार के विरूद्व विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग के जिस नियम के अन्तर्गत नही की गयी उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपी।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1956 दि0 19.12.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1834 दिनांक 15.11.16 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। उनके द्वारा पत्र सं0 1834 दिनांक 15.11.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः—

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
179/2016
A3/2

उपरोक्त विष्यान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है–

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का पत्रांक 3141–3142 दिनांक 22.09.2016 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	पत्र प्राप्ति कमांक 3851 दिनांक 22.09.2016 प्राप्ति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रूपये 4/–शुल्क जमां करवाने पर प्रति नियमानुसार जारी कर दी जावेगी।
2.	पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	कार्यवाही पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रूपये 4/–शुल्क जमा करवाने पर प्रति नियमानुसार जारी कर दी जावेगी।
3.	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी
4.	पत्र मे अंकित तथ्यों व प्रार्थी के संलग्न परिवाद पर आप द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर को भेजी गई है, उसकी सूचना, कार्यवाही व तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।	कोई सूचना प्रेषित नही की गई है।
5.	माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्रांक 3141–41 दिनांक 22.09.2016 का जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने के नियम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
6.	पत्रांक 3141–41 का जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने पर दोषी कर्मकार के विरूद्व विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग के जिस नियम के अन्तर्गत नही की गयी उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपी।	

यदि आप प्रकरण से सम्बन्धित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहें तो कार्यालय दिवस में कर सकते हैं और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन अनुसार बिन्दु सं 0 1 व 2 की सूचना के लिए 4–4रूपये राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है जो अपीलार्थी को राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए और बिन्दु सं0 3 व 4 का भी उत्तर दिया जा चुका है। बिन्दु सं0 5 व 6 की चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
179/2016

अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश / निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 15.11.16 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। ओदश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

385-86
16-2-17